67

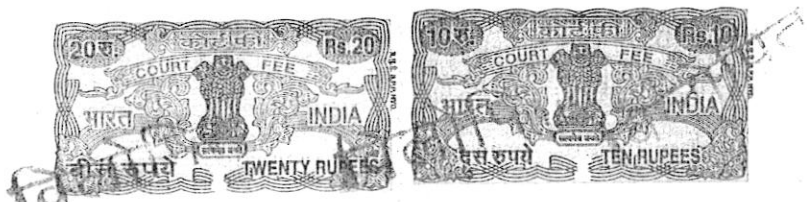

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2109

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–अशोकनगर

मलखान सिंह पुत्र श्री बलीराम यादव
निवासी–ग्राम दमदमा तहसील मुंगावली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – अशोकनगर (म.प्र.)

2– राम सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह यादव
निवासी – ग्राम मथाना तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 637/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसील मुंगावली के ग्राम मथाना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 279/3/1 रकवा 0.418 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 राम सिंह को विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/89–90/अ–19 द्वारा पातिर आदेश दिनांक 25.05.1990 शामिल खाता की गयी थी। तत्पश्चात् अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से आवेदक को विक्रय कर दी गयी।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 के हक में किये गये व्यवस्थापन की जॉच अनुविभागीय अधिकारी से करायी गयी। और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28.07.1993 को दिया गया। तथा उल्लेख किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है अतः प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया। जो प्रकरण क्रमांक 387/97–98 पर पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भूरा / 2017 / 2109

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10–11–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 637 / 2009–10 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 279 / 3 / 1 रकवा 0.418 है0 का व्यवस्थापन अनावेदकगण कमांक–2 रामसिंह के हक में दिनांक 25.5.90 को किया गया था। रामसिंह के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को दिनांक 27.5.95 को निगरानीकर्ता को विकय कर दी गयी। विचारण न्यायालय विचारण द्वारा की गई अनियमितता केकारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण स्व0 निगरानी में ले लिये जाने हेतु अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुये	

गैरनिगरानीकर्ता–2 रामसिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28.12.98 को जारी किया था जबकि रामसिंह के द्वारा पश्नाधीन भूमि निगरानीकर्ता को 1995 में ही विकय कर दी गई थी। विना अनुमति के किया गया अन्तरण किसी भी दशा में मान्य योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता के हक में पश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 637/2009–10/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य